अनु- 12

(46)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

Bihar Industrial Area Development Authority

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर

Website: - www.biadabihar.in Phone/Fax -0621-2274535

कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक–750 दिनांक–04.04.1989 द्वारा मेसर्स अंजनी स्टोन वर्क्स, औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढ़ी में 0.75 एकड़ भूमि का आवंटन प्लॉट संख्या–C-55, C-56, C-57 में किया गया। दिनांक–20.07.1989 को इकाई को आवंटित भूमि का भौतिक प्रभार सौंपा गया।

कार्यालय पत्रांक–31 दिनांक–04.01.2010 द्वारा इकाई को उद्योग स्थापना हेतु अंतिम नोटिस भेजा गया। दिनांक–05.03.2010 को अंजनी कुमार बूबना द्वारा इकाई के उत्पाद, गठन एवं नाम परिवर्तन का अनुरोध किया गया। उद्यमी के अनुरोध के आलोक में कार्यालय पत्रांक–509 दिनांक–23.03.2011 द्वारा इकाई का नाम बदलकर एस0एस0 राईस एवं फलॉवर मिल्स तथा उत्पाद परिवर्तित कर स्टोन चिप्स की जगह राईस एवं फलोर एवं गठन परिवर्तित कर इकाई में दो साझीदार श्री अंजनी कुमार बुबना एवं श्री उत्तम कुमार छापोलिया को 50:50 की साझीदारी पर सहमति प्रदान की गई।

कार्यालय पत्रांक–363 दिनांक–13.07.2011 द्वारा इकाई को बकाया भुगतान करने एवं उत्पादन आरम्भ करने के संबंध में नोटिस दिया गया। कार्यालय पत्रांक–450 दिनांक–23.03.2013 द्वारा इकाई को निर्माण कार्य एवं उत्पादन प्रारम्भ करने के संबंध में नोटिस निर्गत किया गया।

कार्यालय पत्रांक–1194 दिनांक 30.05.2013, पत्रांक–1500 दिनांक–04.07.2013, पत्रांक–2121 दिनांक–25.09..2013, पत्रांक–2308 दिनांक–22.10.2013, एवं पत्रांक–2121 दिनांक–25.09.2013, द्वारा इकाई को आवंटित भू–खण्ड पर निर्माण कार्य एवं उत्पादन प्रारम्भ करने, बकाया भुगतान करने के संबंध में नोटिस निर्गत किया गया एवं इकाई को एक्जिट पॉलिसी की जानकारी दी गई।

लम्बी अवधि से इकाई में किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि नहीं आरम्भ की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढ़ी के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि केवल बाउन्ड्री का निर्माण किया गया है। आवंटित जमीन खाली होने कि सूचना प्राप्त हुई।

अतः उद्यमी की अनिच्छा एवं प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना के आदेश दिनांक– 25..02.2014 के अनुपालन में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 6 (क) एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली, 1981 एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भूमि/शेड रद्द कर वापस लेने की प्रदत्त शक्ति तथा इकाई द्वारा जमा की गई राशि जब्त करने के प्रावधानों के आलोक में इकाई सर्वश्री एस0एस0 राईस एवं फलॉवर मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढ़ी को आवंटित शेड/भूमि का आवंटन आदेश रद्द किया जाता है। साथ ही उद्यमी द्वारा जमा की गयी राशि को जब्त की जाती है एवं बकाये की वसूली हेतु निलाम पत्र मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार ।

कार्यकारी निदेशक,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक– 467 /दिनांक– 10/03/14

प्रतिलिपि – सर्वश्री एस0एस0 राईस एवं फलॉवर मिल्स, साझीदार श्री अंजनी कुमार बुबना, स्व0 मुरारी प्रसाद बूबना, जनकपुर रोड़, थाना पुपरी, जिला–सीतामढ़ी/ श्री उत्तम कुमार छापोलिया, पाठक सदन, स्टेशन रोड, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक– 467 /दिनांक– 10/03/14

प्रतिलिपि – क्षेत्रीय प्रभारी/अमीन औद्योगिक क्षेत्र सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि रद्द भू–खण्ड का भौतिक प्रभार ग्रहण कर कार्यालय को सूचित करें।

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक– 467 /दिनांक 10/03/14

प्रतिलिपि :– लेखा शाखा, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यकारी निदेशक।

D:-Letter Forwarding

prashant